E-mail: conservatorjhansi@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी

पत्रांक– 2080 /33–1 / दिनांक, झांसी, जनवरी -27- 2021।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय– जनपद झांसी में झांसी–बबीना–ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–26 (नया) 44 के कि०मी० संख्या–0.0 से 3.0 तक चौड़ीकरण / फोरलेन में प्रभावित मार्ग पटरी की 4.20 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 344 प्रभावित वृक्षों के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ– 1. आपका पत्रांक– 1781 / 11–सी–FP/UP/Road/52116/2020, दिनांक 22.01.2021।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी का पत्रांक– 2181 / 15–1, दि०–27.01.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र दिनांक 22.01.2021 द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण करते हुये संशोधित अभिलेख / प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी ने अपने संदर्भित पत्र– 2181 / 15–1, दि०–27.01.2021 द्वारा तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। मूल अभिलेख संस्तुति सहित संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– मूल अभिलेख तीन प्रतियों में।

भवदीय

(जी०पी०सिंह)
वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृ०सं०– / समदिनांक।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक महोदय, बुन्देलखण्ड जोन, उ०प्र० झांसी को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन विंग) लोक निर्माण विभाग, झांसी को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने कार्यालय से प्रकरण से भिज्ञ अधिकारी / कर्मचारी को इस कार्यालय से प्रस्ताव व पत्र प्राप्त कर नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त कराने एवं प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(जी०पी०सिंह)
वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक– 2181 /15–1, दिनांक, झांसी, जनवरी, 27 2021

सेवा में,
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निर्देशक
बुन्देलखण्ड वृत्त,
उ0प्र0, झाँसी।

विषय– जनपद झाँसी में झाँसी–ललितपुर बाया बबीना राष्ट्रीय राजयमार्ग सं0–26 (नया–44) के किमी0 सं0–0.00 से 3.00 तक दोनों पटरियों पर चौड़ीकरण/फोर लेन से प्रभावित मार्ग पटरी की 4.20 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 344 विभिन्न प्रजातियों के प्रभावित वृक्षों के गैर वानिकी कार्यो के अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– कार्यालय वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–1781/11–सी-- FP/UP/ROAD/52116/2020, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 22, 2021 एवं अधिशासी अधिकारी निर्माण खण्ड (भवन विंग) लो0नि0वि0, झाँसी का पत्रांक–114/चौड़ीकरण/21, दिनाँक– 23.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव सं0–FP/UP/ROAD/52116/2020 में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सन्दर्भित पत्र से परीक्षणोपरान्त लगायी गयी आपत्ति का निराकरण अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, (भवन विंग), लो0नि0वि0, झाँसी द्वारा सन्दर्भित पत्र से निराकरण कर अभिलेखों सहित 05 प्रतियों में संलग्नक सहित बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्तुत किया। जिसे संलग्न कर संस्तुति के साथ निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार आख्या निराकरण कर अभिलेखों सहित निम्न प्रकार प्रेषित है।

Observe No.	Observation (GOI)	Reply
1	प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक–1428 /11–सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में संलग्न किया DSS Analysis प्रमाण पत्र वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक–1428 /11–सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में DSS Analysis प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। प्रमाण–पत्र पर वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया गया है। जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 80 पर संलग्न है।
2	प्रस्तावित वन भूमि का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित श्वेत श्याम वर्ण का ळमव Refferenced Digital Map संलग्न है, जोकि स्वीकार्य नहीं है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित रंगीन Refferenced Digital Map मूल में संलग्न करें।	प्रस्तावित वन भूमि का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित श्वेत श्याम वर्ण का ळमव Refferenced Digital Map को प्रस्ताव से अलग कर पुनः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित रंगीन Refferenced Digital Map संलग्न किया गया है। संलग्नक पृष्ठ सं04
3	पावन ऑफ एर्टोनी/ऑथारिटी पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।	पावन ऑफ एर्टोनी/ऑथारिटी पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है। संलग्नक पृष्ठ सं0 12

C:\Users\user\Desktop\Letter - DFO Office -23-01-2021.docx

4	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु मार्ग चिन्हित नहीं है।	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है। जिस पर मार्ग का नाम चिन्हित कर दिया गया है। संलग्नक पृष्ठ सं0 73
5	प्रस्ताव में संलग्न किया गया त्रुटिपूर्ण (ऑनलाइन) पार्ट–1 प्रस्ताव से पृथक करते हुए संशोधित ऑनलाइन पार्ट–1 प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में संलग्न किया गया त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन पार्ट–1 प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है। संशोधित ऑनलाइन पार्ट–1 प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है। संलग्नक पृष्ठ सं0 15 से 20

उपरोक्तानुसार अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (भवन विंग) लो0नि0वि0, झाँसी द्वारा सन्दर्भित पत्र से प्रस्तुत बिन्दुवार निराकरण करते हुये अभिलेखों सहित 03 प्रतियों में मूल मं संस्तुति सहित प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार मूल में 03 प्रतियों एवं सी0डी0 सहित प्रस्ताव।

भवदीय

(वी0के0 मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नवत् कोः–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0, लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(भवन विंग), लो0नि0वि0, झाँसी को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी0के0 मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी